SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No10 18	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	
feeding for OTT	डाविकारी विभाग
	<u>ોખલા - 1અ૦</u> ૦
Name , parentage, caste and address of accused	
316-	नल दुशवाह ५० जयसिंह दुशवाह
इसे समित औट पर अपराहा विवरण प्रक्रिक	म-24 मि० बार्ड हे. 16 जोहर
	सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तं ने स्तेत
The offence complainant of	, and date of, its alleged commission
the same of the sa	
	कि दिनांक ८।॥ 🗎 मुकाम
में अवाह हा दम	जो हु पर बिना वैध अनुज़प्ति के अपने
आधिपत्य में	्रत्ने शराब विकय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी आ	धि0 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	03. अमियुवरा को अञ्चलचे अधिक १९१५
क्या आपको उक्त अपराध	प्र स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
पटाव जाने पुत्र स्थारी दिवस का सारामध्य	West of the contract of the co
The plea of the accused	and his examination (if any) with a more and
अपराध रवीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का	निवेदन है।
Due	०४ जप्तश्रुदा सम्पत्ति / ६ सी
Andlew Much	BOATE & HAIR MAN
में मानव अपील न्यायालय के आदेश का	प्रकार स्वानिक क्षित्र अपील की दशा

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

的加州 阿拉斯斯

Jak with A Jakho while

PRICE TROOP

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 12/1/18 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सिंद्रिप्त विचारण किया गया। जतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराएं जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के सबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये उठ्छ शब्दों में जिन्स का उपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

मेरे निर्देश के स्टाकित प्रता